

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



भारतीय न्यायिक  
Rs. 100  
ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL



प्रदेश UTTAR PRADESH

रु. 100 Affixed Rs. 100

FW 512650



[संख्या-अ]

संख्या-प्रमाणिक रिक्सा प्रमाणिक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

इस श्री प्रमाणिक रसीदें का अर्थ है कि ऊपर उक्त संख्या में उक्त प्रकार की भूमि का मालिकाना हक प्रमाणिक रिक्सा प्रमाणिक के पास है।

उक्त भूमि का क्षेत्रफल ००००००/०००००० वर्ग मीटर है।

उक्त भूमि का मालिकाना हक प्रमाणिक रिक्सा प्रमाणिक के पास है।

उक्त भूमि का क्षेत्रफल ००००००/०००००० वर्ग मीटर है।

उक्त भूमि का मालिकाना हक प्रमाणिक रिक्सा प्रमाणिक के पास है।

उक्त भूमि का क्षेत्रफल ००००००/०००००० वर्ग मीटर है।

उक्त भूमि का मालिकाना हक प्रमाणिक रिक्सा प्रमाणिक के पास है।

संख्या-अ

सुप्रिण्डेंट

Deposited by 29/9/3

पारा-7 यह कि इस नुमि एव इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी कार्डिनल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी अस्थापन का ही स्थापन किया जायेगा।

पारा-8 यह कि इस संस्था में फार्मसी कार्डिनल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश कक्षा के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

पारा-9 यह कि उपरोक्त नुमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी कार्डिनल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद, 1988 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आर्टीक्यूलेट कॉलेज का स्थापन न हो पूर्व में कमी किया गया है, और न ही भविष्य में कमी किया जायेगा।

पारा-10 यह कि संस्थान के संवत्सन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाएँ एवं कार्टरशाखाएँ आदि को फार्मसी कार्डिनल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

पारा-11 यह कि संस्था के संवत्सन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं करीबिया स्टाफ की तैयारी सोसाइटी/इस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

पारा-12 यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्धारित/आदेशों को बलीभागी बनना कहेगा। यदि भेरे संस्थान में किसी भी रूप में स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद एवं इण्डिया से सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं इसे मान्य होगा। इस हेतु भेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

पारा-13 इन धोखा कला/कलौं हैं कि भेरे द्वारा भी गयी उपरोक्त सूचना यही निर्देश जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि भी गयी जानकारी एवं अफिलेब/वसुधेश कर्जी, कृपयाक अथवा दुर्लभपूर्व पाते जाते हैं तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून सभ्य कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी को गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम कार्य उत्तरदायी होंगे।



N.S. Affixed Rs. : 2

हो अग्रिम  
27/05/2021

हो सचिव  
सुजिता वर्मा

Sri Shalokan Verma / Ghanashyam Verma  
Deponent's Signatures  
Witnessed by Shri Anand Singh / Jitendra  
S. S. GUPTA AND VS. S. S. GUPTA, RAJASAL, PUNJAB

NOTICE: 27/5/21

27/5/21

सुजिता वर्मा